कार्यालय निदेशक अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्याःएफपीबी–(मिस)–2015–16 दिनॉकःलखनऊःनवम्बर ,2017

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाऐं, मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्या–टीएस–38/2011(III)/3580 दिनांकितः 31–10–2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार विभाग का 17 बिन्दुओं पर सूचनाओं का मैनुअल मय जनसूचना अधिकारियों की सूची सहित प्रभारी वेबसाइट प्रतिसार निरीक्षक को मैनुअल वर्ड अथवा पीडीएफ फाइल में उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अंगुलि चिन्ह ब्यूरो से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) में अंकित 17 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है–

1. संगठन की विशिष्टियॉः– उत्तर प्रदेश प्रान्त में वर्ष 1893 के दौरान इलाहाबाद में अंगुलि चिन्ह ब्यूरो की स्थापना की गई थी। यह एक अपराधियों की पहचान की प्रमाणिकता को सिद्ध करने वाली प्रयोगशाला थी जो कि जो कि ऐन्थ्रोपोमैट्रिक सिस्टम पर आधारित थी। कुछ समय बाद एक कमेटी जिसमें श्री ई.आर. हेनरी, पुलिस महानिरीक्षक, बंगाल, श्री सी.स्ट्राहान, आई.ई. मेजर जनरल सर्वे आफ इंडिया तथा एलक्जेण्डर पेडलर, एफ.आर.एस. प्रिंसिपल प्रेसीडेन्सी, कालेज कालकत्ता, शामिल थे। भारत सरकार के निर्देश में श्री हेनरी के कार्यालय में दिनांकः 29–03–1897 में अंगुलि चिन्ह के आधार पर पहचान किये जाने की प्रणाली के विषय पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु भेंट वार्ता की। इस कमेटी की अपनी रिपोर्ट दिनांकित 31–03–1897 के माध्यम से यह तय पाया गया कि अंगुलि चिन्ह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में उक्त ऐन्थ्रोपोमैट्रिक सिस्टम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अंगुलि चिन्ह प्रणाली की स्थापना के फलस्वरूप पूरे देश में शीघ्र ही ऐन्थ्रोपोमैट्रिक सिस्टम का प्रभाव समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश में अंगुलि चिन्ह प्रणाली का प्रादुर्भाव सन् 1899 में हुआ जिसे वर्तमान अंगुलि चिन्ह ब्यूरो का जन्म वर्ष भी कहा जा सकता है। अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, इलाहाबाद में स्थापित होने के कुछ समय बाद श्री ई.आर. हेनरी इस केन्द्र की कार्य प्रणाली को सुगठित रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु इलाहाबाद आये वर्ष 1906 में सी0आई0डी0 की स्थापना होने के बाद ही इस केन्द्र को सी0आई0डी0 से सम्बद्ध कर दिया गया इस केन्द्र को कैनिंग रोड से हटाकर 106 म्योर रोड (कस्तूरबा गांधी रोड) इलाहाबाद में स्थापित कर दिया और अंगुलि चिन्ह ब्यूरो भी तभी से इस भवन में अधिष्ठापित हो गया। वर्ष 1993 माह जुलाई में अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, लखनऊ स्थानान्तरित होकर आ गया।

वे अपराधी जो अपराध करने के उपरान्त अपनी अंगुलि छाप घटना स्थल पर छोड़ जाते हैं उन छापों की पहचान करने हेतु वर्ष 1966 में एक सिंगल डिजिट ब्यूरो की स्थापना की गई। अपराधियों के प्रत्येक अंगुलि का अभिलेख रखने का कार्य सिंगल डिजिट ब्यूरो करता है।

1(2) कृत्य एवं कर्तव्यः– अंगुलि तथा पद छाप नियम–संग्रह 1920 के अनुसार अंगुलि चिन्ह ब्यूरो द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैः–

1 रिकार्ड अनुभगः– जनपदों से प्रत्येक माह सजा पाये हुये अपराधियों की अंगुलि चिन्ह रिकार्ड पत्रियॉ अभिलेख हेतु इस अनुभाग में प्राप्त होती है। इन अंगुलि चिन्ह रिकार्ड पत्रियों का दस अंगुलि चिन्हों के आधार पर हेनरी वर्गीकरण करके अपराधियों का अभिलेख संग्रहित किया जाता है और कम्प्यूटराइजेशन हेतु सभी रिकार्ड पत्रियों पर 40 डिजिट प्रणाली के अनुसार कोडीफिकेशन भी किया जाता है।

2 सर्च अनुभागः– संदिग्ध/गिरफ्तार/अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अंगुलि चिन्ह खोज पत्रियॉ जनपदों से उनकी शिनाख्त, निर्विवादित रूप से स्थापित करने हेतु इस ब्यूरो में प्राप्त होती हैं। इन पत्रियों को ब्यूरो में संग्रहित अभिलेखों एवं कम्प्यूटराईज्ड 40 डिजिट प्रणाली के अनुसार खोज करके परिणाम सहित सम्बन्धित जनपदों को प्रतिदिन वापस भेज दी जाती हैं।

3 एक अंकीय अनुभागः– घटनास्थल से प्राप्त आकस्मिक–अंगुलि चिन्हों की खोज हेतु जनपदों से इस अनुभाग में धारा–379/380/395/397/398/454/457 भारतीय दण्ड विधान रिकार्ड संग्रहित किया जाता है ताकि घटनास्थल से प्राप्त अंगुलि चिन्हों की खोज की जा सके।

4 अभिमत अनुभागः– न्यायालयों, जनपदों, विभिन्न इकाइयों द्वारा विवादित अंगुलि चिन्ह इस अनुभाग में जांच हेतु प्राप्त होते हैं। यह अनुभाग विवादित अंगुलि चिन्हों पर अपनी राय देकर जांच/विवेचना में मद्द एवं न्यायालय को न्याय देने में प्रमुख सहयोग प्रदान करता है।

5 कम्प्यूटर अनुभागः– इस अनुभाग द्वारा सजा पाये हुये अपराधियों के अंगुलि चिन्ह रिकार्ड पत्रियॉ प्राप्त होने पर कोडीफाईड सूचना को कम्प्यूटराईज्ड 40 डिजिट अंगुलि चिन्ह प्रणाली के अन्तर्गत कम्प्यूटर में फीड करके डाटा बैंक तैयार किया जाता है। खोज हेतु संदिग्ध/गिरफ्तार/अज्ञात मृतक व्यक्तियों की अंगुलि चिन्ह खोज पत्री प्राप्त होने पर कम्प्यूटर से समन्वय का कार्य किया जाता है।

6 फोटो अनुभागः– यह अनुभाग न्यायालयों, विभिन्न इकाइयों तथा घटनास्थल से पाप्त विवादित अंगुलि चिन्हों का फोटोग्राफ तैयार करता है। जिससे न्यायालय में साक्ष्य के समय विवादित एवं न्यादर्श अंगुलि चिन्हों को सही–सही प्रदर्शित किया जा सके।

7 प्रशिक्षण अनुभागः– यह अनुभाग मुख्य आरक्षी/आरक्षी/डी0सी0आर0बी0 के उपनिरीक्षकों तथा यूनिट के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2– अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्यः–

1– अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं जिसके विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ हैं।

2— पुलिस उपाधीक्षक/निदेशकः— अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ में सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का पर्ववेक्षण, समस्त विवरण पत्रों/सूचनाओं को समय से सम्बन्धित शाखा/इकाई को प्रेषण, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निस्तारण।

3— विशेषज्ञ निरीक्षक/उपनिरीक्षक :— ब्यूरो के विभिन्न अनुभागों का पर्यवेक्षण तथा प्रदेश के जनपदों से अभिमत हेतु प्राप्त विभिन्न मामलों पर अभिमत प्रदान करना तथा सजा प्राप्त अपराधियों की रिकार्ड पत्रियों का वर्गीकरण कर अनुभाग में उचित स्थान पर संग्रहीत करना।

4—विशेषज्ञ/अन्वेषक उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षीः— ब्यूरो में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त संदिग्ध अपराधियों की खोज पत्री कर ब्यूरो के रिकार्ड में खोज तथा रिकार्ड आदि के रख—रखाव का कार्य।

5— एस0आई0 एम0 फोटोग्राफरः— न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जांच एजेन्सियों के द्वारा जांच करने वाले केसों (वादों) की फोटोग्राफी का कार्य एवं कैमरा तथा फोटोग्राफी से सम्बन्धित उपकरणों के रख—रखाव एवं पर्यवेक्षण।

6— डार्करूम सहायकः— फोटोग्राफर द्वारा खीचें गये केसों (वादों) के फोटोग्राफिक रोल फिल्म को डेवलप करना, फिक्स करना, रोल फिल्म से बनाये गये चित्रों का डेवलन करना, फिक्स करना, सुखाना एवं काटना, कटे हुए प्रिण्टों का सीरियल में लगाना एवं फोटोग्राफी में फोटोग्राफर की सहायता करना।

7— प्रधान लिपिकः— द्वारा कार्यालय में नियुक्त समस्त लिपिक संवर्ग के कार्यों का अवंटन सुनिश्चित कराना, लिपिक संवर्ग के कार्यों का पर्यवेक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मांगे जाने वाली सूचनाओं का समय से प्रेषण, एवं कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण तथा पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्यों का निस्तारण सुनिश्चित कराना।

8— लिपिक संवर्गः— स्वंय को आवंटित समस्त कार्यों का निस्तारण सुनिश्चित करना, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निस्तारण सुनिश्चित कराना।

3— उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, मुख्यालय तकनीकी सेवाऐं, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय द्वारा समय—समय पर प्राप्त नीति/निर्देशों एवं अंगुली तथा पदछाप नियम—संग्रह 1920 मैनुअल को दृष्टिगत रखते हुए विनिश्चय की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

4— अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए इस ब्यूरो द्वारा अंगुली तथा पदछाप नियम—संग्रह 1920 मैनुअल एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कृत्यों का निर्वाहन किया जाता है।

5— अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन/पुलिस एक्ट/अंगुली तथा पदछाप नियम—संग्रह 1920 मैनुअल के अतिरिक्त समय—समय पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, तकनीकी सेवाऐं से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाता है।

6– ब्यूरो की स्थापना से अब तक ब्यूरो में संग्रह हेतु प्राप्त विभिन्न जनपदों के एक वर्ष से अधिक की सजा से दण्डित होने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में दण्डित अभियुक्तों की रिकार्ड पत्रियॉ तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अभिमत प्रदान करने हेतु प्राप्त विभिन्न मामलों की पत्रावलियॉ।

7– शून्य

8– शून्य

9– उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन, पुलिस एक्ट, अंगुली तथा पदछाप नियम–संग्रह 1920 मैनुअल के अतिरिक्त समय–समय पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, तकनीकी सेवाऐं, मुख्यालय से प्राप्त निदेर्शों का पालन किया जाता है।

10– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतन एवं भत्ते।

11– शून्य

12– शून्य

13– शून्य

14– कर्यालय में धारित फैक्स संख्या– 0522–2335200

15– शून्य

16– जन सूचना अधिकारी–पुलिस अधीक्षक–राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
सहायक जनसचूना अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक/निदेशक, अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ(नोडल अधिकारी)।
अपीलीय अधिकारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐं, उ0प्र0, लखनऊ।

17– शून्य।

09/11/17

निदेशक
अंगुलि चिन्ह ब्यूरो,
उ0प्र0, लखनऊ।